इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 25-82-2018-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 09 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 7 के टीप क्रमांक (1) के स्थान पर निम्नलिखित टीप क्रमांक (1) स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(1) आवेदन के साथ उपरोक्त दर पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात् किसी व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता को उसके द्वारा ऐसी कालावधि के लिये शुल्क संदत्त किये जाने पर अधिकतम पांच वर्ष के लिये रजिस्ट्रहकृत किया जायेगा, परन्तु उस कालावधि के संबंध में, जिसके दौरान रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विचारार्थ लंबित हो, यह समझा जावेगा मानो कि ऐसे व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकरण कर दिया गया है.

क्रमांक एफ 30-08-2000-दस-3.—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(3) अनुज्ञप्ति उन पांच केलेण्डर वर्षों, जिनके लिये वह जारी की गई है, विधिमान्य होगी.".

(2) नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(2) आरामिल के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनकरण हेतु आवेदन फीस पच्चीस सौ रुपये होगी.".

(3) नियम 5 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(4) अनुज्ञप्ति पांच केलेण्डर वर्षों के लिये नवीनीकृत की जायेगी. परन्तु उस कालावधि के संबंध में जिसके दौरान अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन विचारार्थ लंबित हो यह समझा जावेगा मानों कि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम के अधीन नवीनीकृत कर दी गई थी और अनुज्ञप्ति धारी आरामील या आरा गड्ढे को तदानुसार चला रहा था."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.